न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क0 /18–19/निगरानी निगरानी-0535/2019/ग्वालियर/भू.रा.

अवधेश राजोरिया
आज दि. 18/4/19
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 01/5/19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-4-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. रामवेटी पत्नी वेवा दयाराम
2. प्रताप सिंह पुत्र स्वः दयाराम
3. सत्यनारायण पुत्र स्वः दयाराम
4. भूरी बाई पुत्री स्वः दयाराम पत्नी श्री शंकर सिंह निवासीगण गौशाला के पास पदमपुर खेरिया तहसील टप्पा मुरार ग्वालियर म0प्र0

———प्रार्थीयागण

बनाम्

द्वारका प्रसाद पुत्र ग्यासीराम राठौर
(मृत द्वारा वारिसान)

I. रामलखन
II. देशराज
III. दशरथ
IV. राजवीर पुत्रगण द्वारका प्रसाद
V. कस्तूरी बाई पत्नी द्वारका प्रसाद निवासी दामपत्त का पुरा जिला मुरैना म0प्र0
VI. श्रीमती कुसुमा पत्नी रामलखन पुत्री द्वारका प्रसाद निवासी शक्कर मिल के पास
VII. श्रीमती रामवेटी पत्नी शोभाराम पुत्री द्वारका प्रसाद निवासी कोतुआ पुरा

———प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी – अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय सम्भाग ग्वालियर के प्रकरण कमाक 278/14–15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29–01–2019

माननीय,

प्रार्थीयागंण की ओर से निगरानी निम्नलिखित पेश है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0535/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-5-2019	आवेदकगण की ओर से श्री अवधेश राजौरिया, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	